

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 46/24 बत्तू व अन्य बनाम सरकार

- 36- अब्दुल समद पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर
 - 37- अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर
 - 38- अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 39- अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 40- शराफत हुसैन जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 41- नूरु पुत्री शमशेर जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 42- साबुद्दीन पुत्र भोला खौं जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 43- अजरुद्दीन पुत्र साविर अली जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 44- बबलू पुत्र भोला खौं जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 45- पप्पू पुत्र तैय्यब जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 46- सलीम पुत्र सरफू जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 47- रमजानी पुत्रान सरफू जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 48- अलीम पुत्र जाकिर हुसैन जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 49- सलीम पुत्र जाकिर हुसैन जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
 - 50- सद्दाम पुत्र जाकिर हुसैन जाति मुसलमान निवासी पावटा गद्दी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
- अपीलार्थीगण—

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

यह अपील तहसील वजीरपुर के नामान्तकरण सं0 785 दिनांक 20.07.2016 वाके ग्राम पावटा गद्दी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोंडेन्ट सं0 1 की और से परोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि सन् 1947 में वजीरा पुत्र हीमता व ईस्माईल पुत्र विराम जाति गद्दी मुसलमान की खातेदारी भूमि ऐकीकरण ख0नं0 66 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा, 220 रकबा 11 विस्वा, 292 रकबा 47 बीघा 8 विस्वा कुल रकबा 53 बीघा 9 विस्वा, 82 रकबा 1 बीघा 1 बीघा 19 विस्वा, 256 रकबा 19 विस्वा कुल रकबा 2 बीघा 18 विस्वा ग्राम पावटा गद्दी में स्थित हैं। ये दोनो ही सन 1947 में पाकिस्तान चले गये तथा इनकी खातेदारी भूमि कस्टोडियन में दर्ज कर


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी

मु०न० 48/24 बत्तू व अन्य बनाम सरकार

दी।लेकिन प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त भूमि के लोकल टीनेन्ट थे इसलिये कस्टोडियन रूल्स 1963 के नियम 6के मुताबिक प्रार्थीगण के पूर्वज भूमि के लोकल टीनेन्ट होने के कारण उक्त भूमि अपीलार्थीगण को प्रिमियम के आधार पर आवंटन करदी गयी। वजीरा पुत्र हिमता व ईस्माईल पुत्र विराम की खातेदारी भूमि के नये नम्बर 622 लगायत 639, 1041, 1513, 1514, 1515, 1516,1520,1539, 1540 लगायत 1549, 1551, 1552,1553, 1562, 1563, 1564, 1567, 1568, 1569, 1557/2073, 1518/2075 कायम किये हैं जो वजीरा वगेहरा कस्टोडियन के ही नाम दर्ज होकर आये हैं लेकिन रेवन्यू कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि को सिवायचक में दर्ज कर दिया हैं निर्णय नामान्तकरण सं० 785 दिनांक 20-7-2016 तहसीलदार बजीरपुर विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं। तहसीलदार को भूमि को सिवायचक करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि भूमि असिस्टेन्ट मैनेजर ऑफिसर कस्टोडियन द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वजो को आवंटित कर दी गयी थी। तथा कब्जा भी तहसीलदार गंगपुर सिटी द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वजो को भूमि पर संमला दिया। तभी से अपीलार्थीगण के पूर्वज व उनके मरने के बाद अपीलार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा रेस्पोंडेन्ट तहसीलदार द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (मुप-10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र कमांक प.1(15) राज-पुर्नवास/2009 दिनांक 30.03.2012 व राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन), नियम 1963 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार द्वारा उक्त नियम व परिपत्र की पालना न कर अपीलार्थीगण की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय नामान्तकरण सं० 785 दिनांक 20-7-2016 ग्राम पावटा गद्दी निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट पर तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमितता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त नामान्तकरण सं० 785 दिनांक 20.07.2016 ग्राम पाटवा गद्दी यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा चालान की प्रति मय MANAGING OFFICER ALWER का आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त आवंटन आदेश निम्नानुसार है:-



गंगपुर सिटी
न्यायालय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी
मु0नं0 46/24 बत्तू व अन्य बनाम सरकार

MANAGING OFFICER ALWER द्वारा किये गये आवंटन आदेश के पश्चात् भी उक्त भूमि सिवायचक किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अप्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(15) राज-पुर्नवास/2009 दिनांक 30.03.2012 व राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन), नियम 1963 में अंकित नियमों/आदेशों की पालना की गई है अथवा नहीं स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार वजीरपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि तहसीलदार वजीरपुर उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-10/पुर्नवास) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(15) राज-पुर्नवास/2009 दिनांक 30.03.2012 व राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन), नियम 1963 में उल्लेखित नियमों/आदेशों तथा OFFICE OF THE MANAGING OFFICER & ASSTT CUSTODIA N ALWER द्वारा पारित आदेशों 8675 दिनांक 8.04.63 का अवलोकन व परीक्षक कर पुनः नये सिरे से गुणावगुण पर स्पीकिंग निर्णय पारित करे।

उक्त निर्णय की एक प्रति पृथक से तहसीलदार वजीरपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी